



UPSI180025622022

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पैरवी अधिकारी - (Amit Singh), (उम्मीद न्यायिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/178/2022

Shama Parvin Vs. Kuldeep @ Guddu Maurya and Others

31.05.2022

वादी द्वारा श्री लालबहादुर वर्मा एडवोकेट के माध्यम से वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिला जवाबदावा एवं वास्ते विरचन वादबिन्दु दिनांक 21.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र 6ग2 समर्थित शपथ-पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी/प्रार्थी गाटा सं० 261ख रक्बा 0.076 हे०, गाटा सं० 262 रक्बा 0.089 हे०, गाटा सं० 263 रक्बा 0.051 हे० स्थित ग्राम सिरकुण्डा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। वादिनी ने वादीय भूमि पूर्व खातेदार मो० यूनस से जरिए बेनामा दिनांकित 06.11.2017 को कय किया था। वादीय भूमि का नामान्तरण आदेश वादिनी के हक में हो चुका है। वादीय भूमि पर वादिनी की मेंथा फसल लगी हुई है। वादीय भूमि के पश्चिम डामर रोड है तथा डामर रोड के पश्चिम बंजर भूमि सं० 266 है। प्रतिवादीगण ने बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करके अपना मकान व दुकान बना रखी है। अब प्रतिवादीगण वादीय भूमि के पश्चिमी भू भाग पर रोड साईड की तरफ अवैध कब्जा करके निर्माण कर लेना चाहते हैं। उपरोक्त कारणवश दौरान मुकदमा के लिए प्रतिवादी/विपक्षीगण को निषेधित कर दिया जाय। वादी/प्रार्थी की ओर से सूची 9ग से 10ग खतौनी, 11ग खसरा, 12ग नक्शा की प्रति दाखिल किया गया है।

वादी/प्रार्थी की ओर से दाखिल 10ग नकल खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा सं० 261ख रक्बा 0.076 हे०, गाटा सं० 262 रक्बा 0.089 हे०, गाटा सं० 263 रक्बा 0.051 हे० पर वादिनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र 6ग2 के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन के समर्थन में शपथ-पत्र का० सं० 7ग2 एवं 11ग नकल खसरा दाखिल किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ-पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी/प्रार्थी का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए विपक्षी/प्रतिवादीगण को वादी/प्रार्थी की उपरोक्त भूमि गाटा सं० 261ख रक्बा 0.076 हे०, गाटा सं० 262 रक्बा 0.089 हे०, गाटा सं० 263 रक्बा 0.051 हे० पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित कर दिया जाय। तदनुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादी/विपक्षीगण वादग्रस्त गाटा सं० 261ख रक्बा 0.076 हे०, गाटा सं० 262 रक्बा 0.089 हे०, गाटा सं० 263 रक्बा 0.051 हे० स्थित ग्राम सिरकुण्डा परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। वादी/प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करे। वादी/प्रार्थी के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2 दिनांक-12.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना-पत्र 8ग2

वादिनी की ओर से प्रार्थना-पत्र 8ग2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना-पत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। सूची में नामित अगले क्रम के अधिवक्ता/कमिशनर को कमीशन कार्य हेतु रिट जारी हो। वादिनी पैरवी करे। बाद पैरवी कमिशनर नियत तिथि तक कमीशन कार्य निष्पादित कर अपनी आख्या व पैमाईशी मानचित्र प्रस्तुत करें।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

अजय/स्टेनो